न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

मु0अ0सं0–866 / 2014

सरकार बनाम रिंकू उर्फ मुस्ताक आदि।

थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव।

दिनांक–12.08.2026

अभियुक्तगण रिंकू उर्फ मुस्ताक खान पुत्र मुस्ताक अहमद, निसार पुत्र मुस्ताक अहमद व कल्लू उर्फ शफीक पुत्र खलील की ओर से मु0अ0सं0–866 / 2014 अन्तर्गत धारा–**323,504,506** थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण स्वयं आत्मसमर्पण कर न्यायालय में उपस्थित है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना, एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and others(2021)10 SCC 773 के अनुसार जमानत के आधार पर्याप्त है।

अभियुक्तगण स्वयं आत्मसमर्पण कर न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त पर मारपीट करने, गन्दी–गन्दी गालिया देने व जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। ऐसे में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आधार जमानत पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण रिंकू उर्फ मुस्ताक खान पुत्र मुस्ताक अहमद, निसार पुत्र मुस्ताक अहमद व कल्लू उर्फ शफीक पुत्र खलील की ओर से मु0अ0सं0–866 / 2014 अन्तर्गत धारा–**323,504,506** थाना गंगाघाट जिला उन्नाव मे अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा मु0 20–20 हजार रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान राशि की एक–एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उन्नाव।